



REET 2025

LEVEL-2



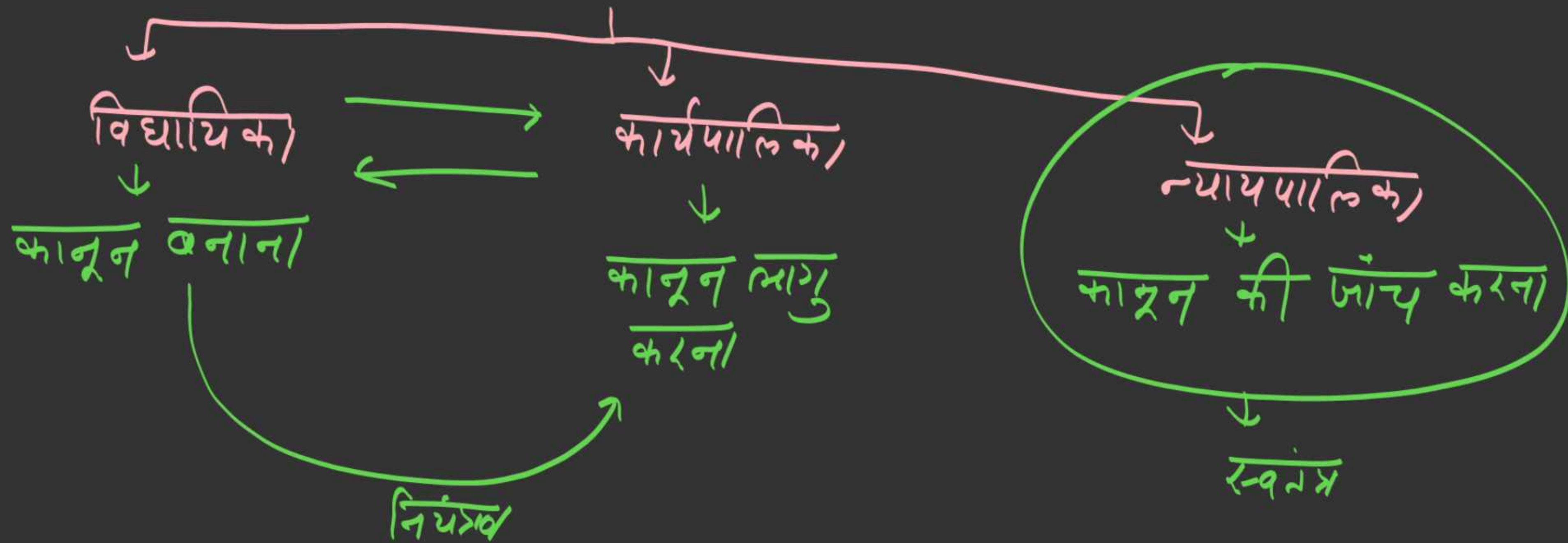
वंदन बैच POLITY

सर्वोच्च न्यायालय



LIVE

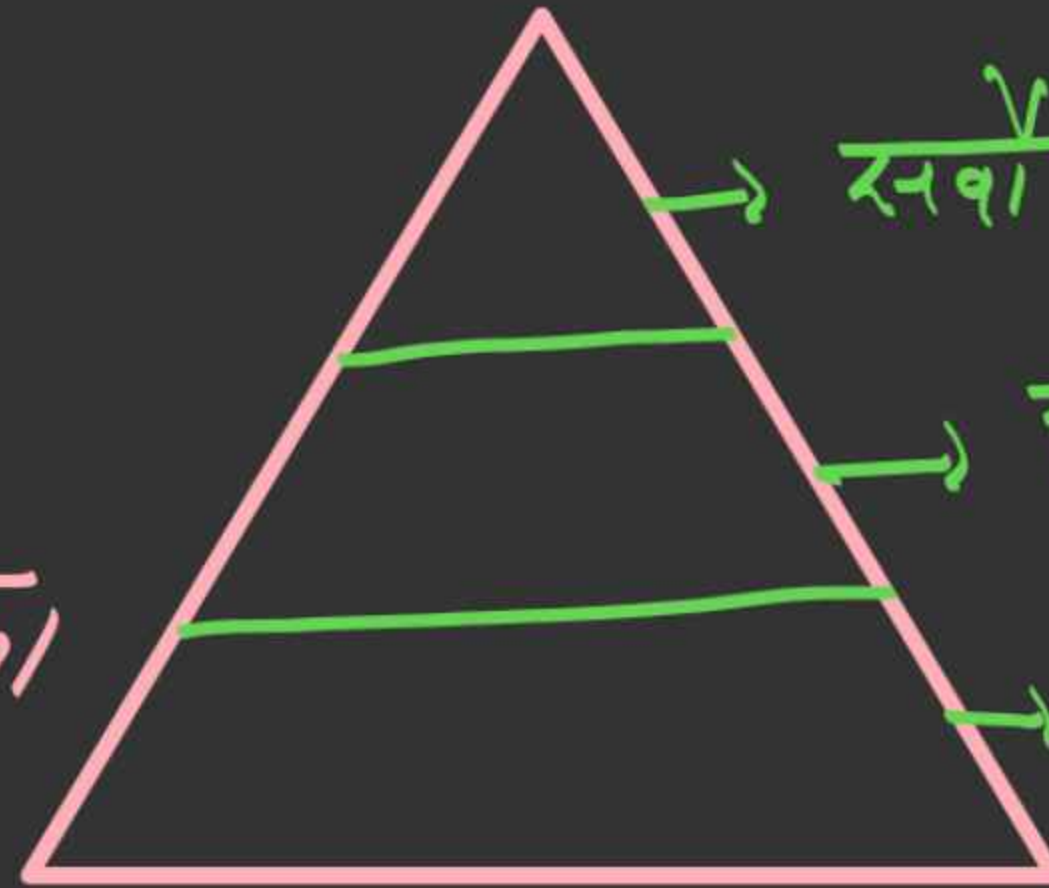
24-01-2025 07:00 PM



1973-केशवानन्द भारत केश-

ન્યાયપાલિકા

- પાગ - 5
- અદ્યાય - 4
- અનુ. 124-147
- પ્રતિષ્ઠિત સ્વતંત્ર ન્યાયપાલિકા
 - ↳ USA
- ન્યાયપાલિકા - શંકુ સમાધાન



સર્વોચ્ચ ન્યાયમથ

ઉચ્ચ ન્યાયમથ

અધીનસ્થ ન્યાયમથ

भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना

→ 28 जनवरी - 1950

→ स्थान → नई दिल्ली

→ जज 1+7 [1950] वर्तमान में जज 1+33=34

→ प्रथम मुख्य जज → हिरालाल जे कानिया

* सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करिष्ठता
के आधार पर करता है।

* भारत में शब्द वरिष्ठता का उल्लेख हुआ है।

① 1972 → S. M. सिक्री की निवृत्ति के बाद

- | | |
|----------------|----------------------|
| ① J. S. शैलेट | } ⇒ <u>त्यागपत्र</u> |
| ② R. S. हेगड़े | |
| ③ A. N. गोवर्ध | |

④ अजीत नाथ राय (A. N. राय) - की मुख्य जज

② 1977 → अजीत नाथ राय सेवानिवृत्ति होने के बाद -

① A.R. अन्ना

② श्री. हमीदुल्ला केर। [मुख्य जज]

* 6 Oct. 1993 की कॉलेजियल प्रणाली की शुरुआत

↓ कॉलेजियल नाम - 1998 में दिया गया था

→ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य जज [CJ] + 4 वरिष्ठ जज

→ 1998 → CJ + 4 वरिष्ठ जज = 5 जज

2014 में PM मोदी → 99 वें संविधान संशोधन 2014
→ जजों की नियुक्ति → NJAC करेगा

National Judicial Appointment Commission
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग

→ राष्ट्रपति ने स्वीकृति → 13 अप्रैल 2015
→ संविधान में तीन अनुच्छेद जोड़े गए।

अनु. 124(A)

→ एक NJAC होगा जो जजों की नियुक्ति करेगा

→ सदस्य - 6 [1 CJ + 5 सदस्य]

अध्यक्ष → CJ

2 सदस्य → सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ जज

1 सदस्य → कानून मंत्री

2 सदस्य → मनोनिर्वाह राक्षसों द्वारा जिनको कानून का ज्ञान हो।

अनु. 124B → कार्य ① SC व HC के जजों की नियुक्ति

② HC के जजों का स्थानान्तरण

अनु. 124C → NJAC के संबंध में विधि संसद बनायेगी

Note

सर्वोच्च न्यायालय ने 99वां संविधान संशोधन 2015 को रद्द कर दिया क्योंकि ये संविधान संशोधन भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना का हनन कर रहा था।

* पुनः कॉलेजियम प्रणाली को लागू कर दिया।
↳ (1 C.J.) + 4 जज वरिष्ठ